



सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

SARDAR VALLABHBHAI NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SURAT

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा NITSER अधिनियम के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

An Institute of National Importance, Established under NITSER Act by Ministry of Education, Govt. of India

SVNIT

क्र. ई /3031

दिनांक: 07/12/2023

सूचना

विषय: एसवीएनआईटी, सूरत के नियमित कर्मचारियों के लिए कैशलेस/क्रेडिट टाई अप सुविधा के लिए सूचीबद्ध अस्पताल

एसवीएनआईटी, सूरत ने संस्थान के नियमित कर्मचारियों के लिए कैशलेस / क्रेडिट टाई अप सुविधा (इनडोर उपचार) के लिए सत्व हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, वेसु, सूरत के साथ सूची में सम्मिलित करने के लिए 10.11.2023 से दो वर्ष की अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार, आज की तारीख में एसवीएनआईटी, सूरत के नियमित कर्मचारियों के लिए कैशलेस / क्रेडिट टाई अप सुविधा के लिए सूचीबद्ध अस्पताल की अद्यतन सूची इस प्रकार है;

क्र.सं.	अस्पताल का नाम
1	मेटास एडवांटिस्ट हॉस्पिटल, अठवालाइन्स सूरत-395007
2	सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल प्रा. लिमिटेड डुमस रोड, सूरत-395007
3	एएसजी हॉस्पिटल प्रा. लिमिटेड, अठवालाइन्स, सूरत-395007
4	शेल्बी मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रांदेर रोड, सूरत
5	सत्व हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, कैनाल रोड, वेसु, सूरत-395007

उपरोक्त अस्पतालों में संस्थान के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध है:


- (a) उपरोक्त सुविधा केवल रेफरल सिस्टम के माध्यम से आईपीडी उपचार के लिए है। सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारियों को एसवीएनआईटी स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी सुविधा का उपयोग करना होगा। कर्मचारी केवल संस्थान के नायित अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर द्वारा जारी रेफरल पत्र के साथ इनपेशेंट विभाग (आईपीडी) चिकित्सा उपचार के लिए उपरोक्त अस्पतालों से संपर्क कर सकते हैं।
- (b) कैशलेस चिकित्सा उपचार सुविधा का लाभ उठाने के लिए, पात्र कर्मचारी/मरीज़ को संस्थान स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाना होगा। मरीज़ की चिकित्सा जांच के बाद, संस्थान के सीएमओ उप कुलसचिव (स्थापना) को रेफरल पत्र जारी करने हेतु अनुरोध की सिफारिश के साथ अग्रेषित करेगा। जांच के बाद स्थापना अनुभाग द्वारा रेफरल लेटर जारी किया जायेगा। ऐसे सभी कार्य अग्रता से किये जायेंगे। रेफरल पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए निर्दिष्ट अस्पताल में इनडोर उपचार के लिए वैध होगा।
- (c) असाधारण परिस्थितियों और आपातकालीन परिस्थितियों में, उपरोक्त अस्पताल एसवीएनआईटी, सूरत के मरीज़ों को बिना रेफरल पत्र के भर्ती करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में, कर्मचारी को भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर अस्पताल प्राधिकारियों को रेफरल पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों

को भर्ती के समय अस्पताल प्रशासन के समक्ष अपना पहचान पत्र और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

- (d) संस्थान स्वीकार्य चिकित्सा उपचार शुल्क का भुगतान सीधे अस्पतालों को ही करेगा।
- (e) उपरोक्त अस्पतालों में सभी प्रकार के आंतरिक मरीज़ उपचार के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए सीजीएचएस/एम्स के तहत दरें और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में भर्ती होने सहित परामर्शदाता/उपचार के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति सीजीएचएस के तहत निर्धारित दरों या वास्तविक, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
- (f) मरीज़ /कर्मचारी द्वारा प्राप्त अस्वीकार्य वस्तुओं/सेवाओं/सुविधाओं का शुल्क संबंधित मरीज़ /कर्मचारी द्वारा वहन किया जाएगा और संदर्भित कर्मचारी/आश्रित द्वारा सीधे अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। संस्थान मरीज़ /कर्मचारी द्वारा प्राप्त अस्वीकार्य वस्तुओं/सेवाओं/सुविधाओं के लिए भुगतान किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा, जिसमें सीएस (एमए)/सीजीएचएस द्वारा अस्वीकार्य श्रेणी में सूचीबद्ध विटामिन/पोषक पूरक, प्रसाधन आदि एवं अस्वीकार्य दवाएं भी शामिल हैं।
- (g) आंतरिक उपचार के लिए रेफर किए गए कर्मचारी/आश्रित को डिस्चार्ज से पहले अस्पताल के सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना होगा और एसवीएनआईटी सूत्र में अपने दावों को संसाधित करने के लिए अस्पताल अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा।
- (h) अन्य सूचीबद्ध अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (ऊपर सूचीबद्ध क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 05 के अलावा) प्रतिपूर्ति दावे के आधार पर सीजीएचएस दरों के अनुसार जारी रहेगी। हालाँकि यह बिना किसी कैशलेस/क्रेडिट टाई-अप प्रावधान के होगा।

यह परिपत्र संख्या ई/1448 दिनांक 31.03.2021 का स्थान लेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिप्रेषित:

- 1) निदेशक
- 2) संस्थान के सभी कर्मचारी
- 3) सभी विभाग/अनुभाग/स्वास्थ्य केंद्र/एआर (लेखा)
- 4) संकाय प्रभारी - सीसीसी - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
- 5) प्रेषण अनुभाग